

कम सिंह

बनाम

गुरुमुख सिंह आदि

दिनांक

53

2021

अन्तर्गत धारा

212 RTA

रण संख्या

दिनांक

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

16^L/₂₃

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय थाहा। ग.इ की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/01/23 को पेश हो

23^L/₂₃

पत्रावली पेशी पर ली गई। अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय चयन गार्ड न्यायाधिकार के समक्ष दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.1.23 को पेश हो।

06/15

30⁰¹/₂₃

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली में ग.इ की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06/02/2023 को पेश हो।

06⁰²/₂₃

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस पर मगन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने बाबत निवेदन किया। अप्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राची पत्र प्राची खारिज किए जाने बाबत अर्ज किया। इस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान कम सिंह बनाम गुणवत सिंह भांडा
 प्रकरण संख्या 53 / 2021 अन्तर्गत धारा 313 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर पत्र जो इस पालना
--------	-----------------------------------	------------------------

संतुलन अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्राची के पत्र में बनना पाये जाते हैं। अतः प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA मली भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05/07/21 मूलवाद के निणयि तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निगीति होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

